

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार राकेश, मा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के बीच समान दर से वितरित करने की स्वीकृति।

पटना, दिनांक: 17/.../2015

आदेश:- स्वीकृत।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत कुल ₹18916.05 करोड़ (एक सौ नवासी अरब सोलह करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र तथा कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल ₹2101.78 करोड़ (द्विकीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल मिलाकर ₹21017.83 करोड़ (दो सौ दस अरब सत्रह करोड़ तिरासी लाख रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्षवार निम्नरूपेण प्राप्त होने की सूचना प्राप्त है:-

(राशि-करोड़ रुपये में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
बुनियादी अनुदान	2269.18	3142.08	3630.39	4199.71	5674.70	18916.05
निष्पादन अनुदान		412.15	466.41	529.67	693.55	2101.78
कुल	2269.18	3554.23	4096.8	4729.38	6368.25	21017.83

इस राशि में से बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार द्वारा ₹1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी गयी है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत शेष ₹17781.46 करोड़ (एक सौ सतहत्तर अरब इक्यासी करोड़ छियालीस लाख रुपये) मात्र की राशि एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कार्य

निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत ₹2101.78 करोड़ (इक्कीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख रुपये) मात्र की राशि की प्राप्ति संभावित है।

2. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि के वितरण के संबंध में यह उल्लेख है कि राशि केवल ग्राम पंचायतों को दी जायेगी तथा ग्राम पंचायतों के बीच इस राशि के वितरण हेतु राज्य के नवीनतम वित्त आयोग, जिसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं, के फार्मूला का उपयोग किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में पंचम वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त नहीं हैं। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प सं०-8104 दिनांक-30.08.2011 की कंडिका 3.1(ग) में यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली हिस्से की राशि सभी ग्राम पंचायतों के बीच बराबर-बराबर वितरित की जायेगी।

3. 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की कंडिका 9.56 में यह अनुशंसा है कि बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित मूलभूत सेवाओं, यथा जलापूर्ति, स्वच्छता जिसके अन्तर्गत सेप्टेज प्रबंधन सहित मल व्यवस्था (Sewerage), वर्षा जल की निकासी (Storm water drainage) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है, सड़कों पर रोशनी (Street lighting), स्थानीय निकाय की सड़कें एवं पैदल पथ (Local body roads and footpaths), उद्यानों (Parks), खेल के मैदानों, कब्रिस्तान और शमशान के सुदृढीकरण तथा रख-रखाव पर किया जायेगा।

4. कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) की राशि का उपयोग निम्नांकित मुद्दों के समाधान पर किया जायेगा:-

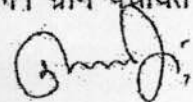
(i) परीक्षित लेखा (audited accounts) के माध्यम से स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय पर विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराने; तथा

(ii) ग्राम पंचायतों के राजस्व की प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि।

आयोग की अनुशंसा है कि उपर्युक्त दोनों शर्तों के अनुपालन के उपरांत ही 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इन कार्य निष्पादन अनुदानों (Performance Grant) का समितरण आयोग की अवार्ड अवधि के दूसरे वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17 से किया जायेगा ताकि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को इसके क्रियान्वयन हेतु योजनाएं एवं क्रियाविधि स्थापित करने का पर्याप्त समय मिल सके।

✓ कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने पड़ेंगे जो उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक अवधि से संबंधित नहीं होंगे। ग्राम पंचायत



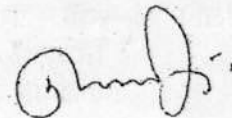
को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोतरी भी करनी होगी और यह बढ़ोतरी लेखा परीक्षित लेखाओं (Audited Accounts) के माध्यम से स्थापित होनी चाहिये। उदाहरणार्थ, वर्ष 2016-17 के कार्य निष्पादन अनुदानों के लिए वर्ष 2014-15 का वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा आवश्यक होगा। इसी प्रकार वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक के कार्य निष्पादन अनुदानों के लिए क्रमशः वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा आवश्यक होंगे।

5. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की कड़िका-xiv में अंकित किया गया है कि आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अनुदान प्रत्येक वर्ष जून एवं अक्टूबर में दो किस्तों में विमुक्त किया जायेगा जिससे प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों में समय से अनुदान का प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा तथा वे अपने कार्यों की योजना और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर सकेंगी। आयोग की यह सिफारिश है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की 50 प्रतिशत राशि राज्यों को पहली किस्त के रूप में जारी की जायेगी। शेष बुनियादी अनुदान (Basic Grant) और उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त होने वाले कुल निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के साथ दूसरी किस्त के रूप में विमुक्त किया जायेगा। आयोग की अनुशंसा में यह शर्त भी है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि राज्य के खाते में प्राप्त होने पर 15 दिनों के अन्दर ही ग्राम पंचायतों को विमुक्त कर दी जायेगी। बिलम्ब की स्थिति में राज्य सरकार को भारत सरकार से विमुक्त की गयी राशि के साथ अपनी निधियों से ब्याज की राशि का भी भुगतान करना होगा।

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग संख्या-16 में गैर-योजना "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत ₹15,88,42,60,000.00 (पन्द्रह अरब अठ्ठासी करोड़ बयालीस लाख साठ हजार रुपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध है जिससे राशि की निकासी की जायेगी। इसका विपन्न कोड एन 2515001980001 है।

7. अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 17.07.2015 में लिये गये निर्णय के आलोक में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार द्वारा बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराये गये कुल ₹1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी के अनुसार राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच बराबर-बराबर वितरित करने की स्वीकृति दी जाती है।

8. बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित मूलभूत सेवाओं, यथा जलापूर्ति, स्वच्छता जिसके अन्तर्गत सेप्टेज प्रबंधन सहित मल व्यवस्था (Sewerage), वर्षा जल की निकासी (Storm water drainage) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



भी शामिल है, सड़कों पर रोशनी (Street lighting), स्थानीय निकाय की सड़कें एवं पैदल पथ (Local body roads and footpaths), उद्यानों (Parks), खेल के मैदानों, कब्रिस्तान और श्मशान के सुदृढीकरण तथा रख-रखाव पर किया जायेगा।

9. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे जो राशि की निकासी कर संबंधित जिला की ग्राम पंचायतों को कोर बैंकिंग के माध्यम से उनके खातों में अंतरित करेंगे।

10. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 30.09.2015 तक विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व के वर्षों में वित्त आयोग की अनुशंसा पर आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

11. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-4प/चौ0वि0 आ0-01-01/2015/प0रा0/...3 पटना, दिनांक-17/7/2015
प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव।

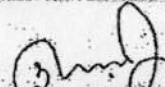
ज्ञापांक-4प/चौ0वि0 आ0-01-01/2015/प0रा0/...3 पटना, दिनांक-17/7/2015
प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त/सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव।

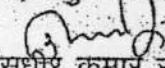
ज्ञापांक-4प/चौ0वि0 आ0-01-01/2015/प0रा0/...3 पटना, दिनांक-17/7/2015
प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव।

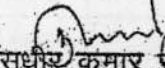
ज्ञापांक-4प/चौ0वि0 आ0-01-01/2015/पं0रा0/....3 पटना, दिनांक-17/7/2015
प्रतिलिपि :-सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ
प्रेषित।


(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव।

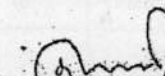
ज्ञापांक-4प/चौ0वि0 आ0-01-01/2015/पं0रा0/....3 पटना, दिनांक-17/7/2015
प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-4प/चौ0वि0 आ0-01-01/2015/पं0रा0/....3 पटना, दिनांक-17/7/2015
प्रतिलिपि :-आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
प्रेषित।


(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-4प/चौ0वि0 आ0-01-01/2015/पं0रा0/....3 पटना, दिनांक-17/7/2015
प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

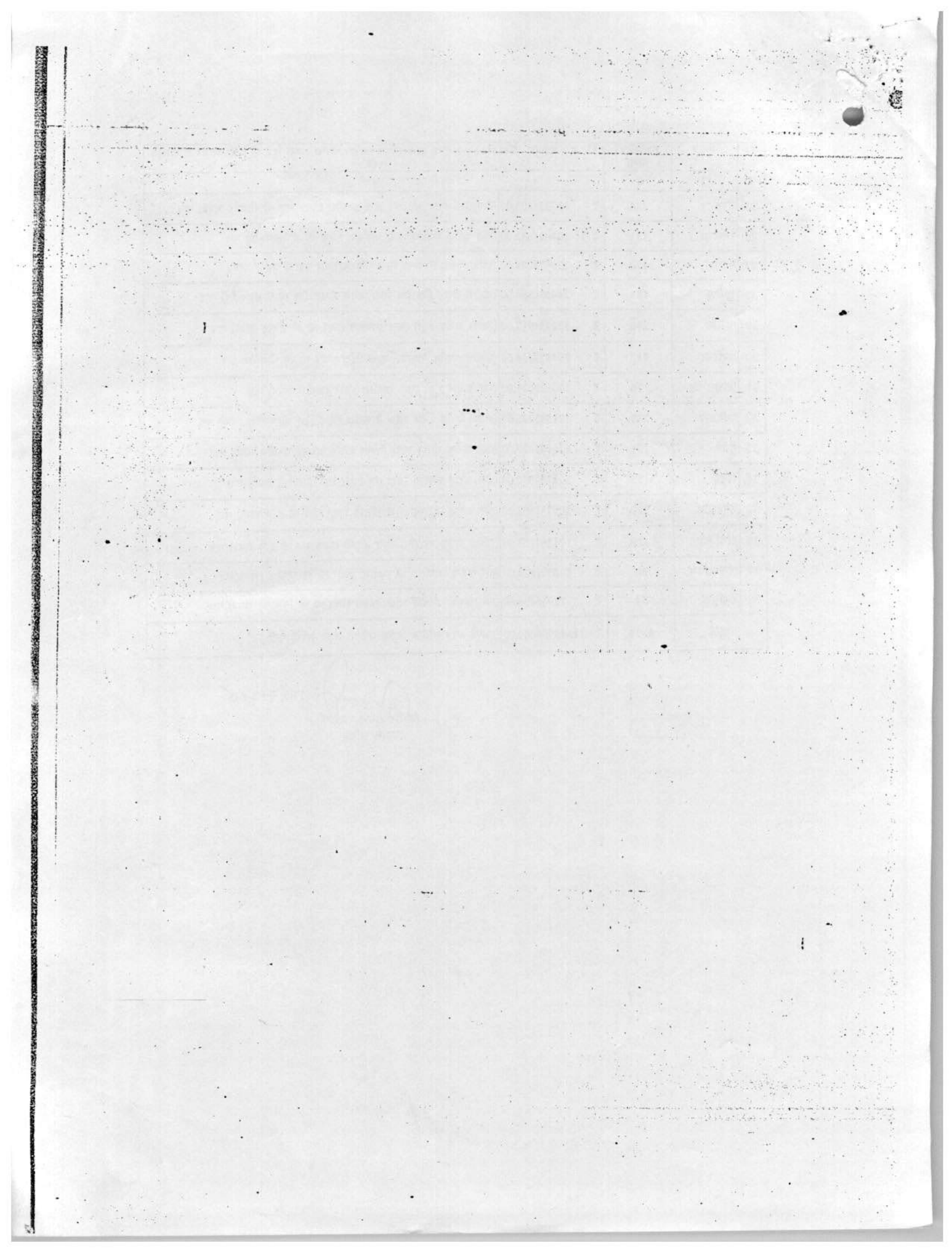
चौदहवें वित्त आयोग की अनुसंधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि की विवरणी (रुपये में)

क्र०	जिल्ला	पंचायतों की संख्या	प्रति ग्राम पंचायतों ₹ 13,31,024.00 (तेरह लाख इक्कावन हजार चौरासी रुपये) मात्र की राशि की दर से स्वीकृत राशि	4
1	2	3		
1	बक्सर	142	₹ 191845416.00	(उन्नीस करोड़ अठारह लाख पैंतालीस हजार चार सौ सोलह रुपये) मात्र
2	रोहतास	246	₹ 332351917.00	(तीतीस करोड़ तेईस लाख इक्कावन हजार नौ सौ सतरह रुपये) मात्र
3	भोजपुर	228	₹ 308033484.00	(तीस करोड़ अस्सी लाख तीतीस हजार चार सौ घीरासी रुपये) मात्र
4	नालन्दा	249	₹ 336404989.00	(तीतीस करोड़ चौसठ लाख चार हजार नौ सौ नवासी रुपये) मात्र
5	पटना	327	₹ 441784865.00	(चीबलीस करोड़ सतरह लाख घीरासी हजार आठ सौ पैंसठ रुपये) मात्र
6	कैमूर	149	₹ 201302584.00	(बीस करोड़ तेरह लाख दो हजार पाँच सौ घीरासी रुपये) मात्र
7	गया	332	₹ 448539986.00	(चीबलीस करोड़ पिचासी लाख उनतालीस हजार नौ सौ घियासी रुपये) मात्र
8	नवादा	187	₹ 252641498.00	(पच्चीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कासी हजार चार सौ अठानवे रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	204	₹ 275608907.00	(सत्ताईस करोड़ छप्पन लाख आठ हजार नौ सौ सात रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	93	₹ 125645237.00	(बारह करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार दो सौ तीतीस रुपये) मात्र
11	अरवल	65	₹ 87816563.00	(आठ करोड़ अठहत्तर लाख सोलह हजार पाँच सौ तिरसठ रुपये) मात्र
12	सारन	323	₹ 436380769.00	(तीतालीस करोड़ तिरसठ लाख अस्सी हजार सात सौ उनहत्तर रुपये) मात्र
13	सिवान	293	₹ 395850048.00	(उनतालीस करोड़ अठ्ठावन लाख पचास हजार अड़तालीस रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	234	₹ 316139628.00	(तीतीस करोड़ इक्काठ लाख उनतालीस हजार छठ सौ अड़ईस रुपये) मात्र
15	रक्सुस	385	₹ 52011261.00	(पाँच करोड़ छह सौ पैंतालीस हजार नौ सौ इक्काठ रुपये) मात्र
16	दैहाली	288	₹ 389094927.00	(अठतीस करोड़ नब्बे लाख घीरासठ हजार नौ सौ सत्ताईस रुपये) मात्र
17	पू० चम्पारण	405	₹ 547164742.00	(घीवन करोड़ इक्कहत्तर लाख घीसठ हजार सात सौ बयालीस रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	315	₹ 425572577.00	(बयालीस करोड़ पचपन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ सतरह रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	273	₹ 368829567.00	(छतीस करोड़ अड़तासी लाख उनतीस हजार पाँच सौ सड़सठ रुपये) मात्र
20	शिवहर	53	₹ 71604275.00	(सात करोड़ सोलह लाख चार हजार दो सौ पचहत्तर रुपये) मात्र
21	भागलपुर	242	₹ 326947821.00	(तीतीस करोड़ छनुहत्तर लाख पैंतालीस हजार आठ सौ इक्कीस रुपये) मात्र
22	बाँका	185	₹ 249939450.00	(घीबीस करोड़ निम्नानवे लाख उनतालीस हजार चार सौ पचास रुपये) मात्र
23	मधुबनी	399	₹ 539058597.00	(तिरपन करोड़ नब्बे लाख अठ्ठावन हजार पाँच सौ सत्तानवे रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	381	₹ 514740164.00	(इक्कावन करोड़ पैंतालीस लाख घालीस हजार एक सौ घीसठ रुपये) मात्र

क्र०	जिला	पंचायतों की संख्या	प्रति ग्राम पंचायतों ₹ 43,51,024.00 (तीरह लाख इक्कावन हजार चौबीस रुपये) मात्र की राशि की दर से स्वीकृत राशि	
1	2	3		4
25	दरभंगा	324	₹ 437731793.00	(तीसालीस करोड़ सतहत्तर लाख इक्कीस हजार सात सौ तिरानवे रुपये) मात्र
26	सहरसा	151	₹ 204004632.00	(बीस करोड़ चालीस लाख चार हजार छह सौ बत्तीस रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	170	₹ 229674089.00	(बाइस करोड़ छियानवे लाख चौहत्तर हजार नवासी रुपये) मात्र
28	सुपौल	181	₹ 244335354.00	(चौबीस करोड़ पैतालीस लाख पैतीस हजार तीन सौ चौवन रुपये) मात्र
29	पूर्णिमा	246	₹ 332351917.00	(तीतीस करोड़ तेईस लाख इक्कावन हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र
30	अररिया	218	₹ 294523244.00	(उनतीस करोड़ पैतालीस लाख तेईस हजार दो सौ चौवालीस रुपये) मात्र
31	किशनगंज	126	₹ 170229031.00	(सत्तर करोड़ दो लाख उनतीस हजार इक्कीस रुपये) मात्र
32	कटिहार	238	₹ 321543725.00	(बत्तीस करोड़ मन्दह लाख तीसालीस हजार बीस सौ पच्चीस रुपये) मात्र
33	मुंगेर	101	₹ 136453429.00	(तेरह करोड़ चौसठ लाख तिरपन हजार चार सौ उनतीस रुपये) मात्र
34	जमुई	153	₹ 206705680.00	(बीस करोड़ सड़सठ लाख छह हजार छह सौ अस्सी रुपये) मात्र
35	बेगूसराय	229	₹ 309384508.00	(तीस करोड़ तिसनवे लाख बीसती हजार चौब सौ आठ रुपये) मात्र
36	खगड़िया	129	₹ 174282103.00	(सत्तर करोड़ बयालीस लाख बयासी हजार एक सौ तीन रुपये) मात्र
37	लखीसराय	80	₹ 108081924.00	(दस करोड़ अस्सी लाख इक्कासी हजार नौ सौ चौबीस रुपये) मात्र
38	रोहतास	54	₹ 72955299.00	(सात करोड़ उनतीस लाख पचपन हजार दो सौ निम्नानवे रुपये) मात्र
	कुल	8398	₹ 11345900000.00	(ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र

(सुधीर कुमार राकेश)
प्रधान सचिव

17/7/2015



पत्रांक: 44/चौवि० आ०-01-05/2015/खंड/ ०७ /प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार राकेश
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 10/03/2016

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि की प्रथम किस्त की राशि को निर्धारित 15 दिनों की समय-सीमा के अन्दर पंचायतों को उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप पंचायत वार सूद की देय राशि ₹8,11,71,124.00 (आठ करोड़ ग्यारह लाख इकहतर हजार एक सौ चौबीस रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्रथम किस्त के रूप में ₹1134.59 करोड़ की राशि राज्य को प्राप्त हुई। विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-3 दिनांक 17.07.2015 एवं आवंटनादेश संख्या-10 (आ) दिनांक 17.07.2015 द्वारा जिलों को सक्त राशि ग्राम पंचायतों के लिए चिन्हित मूलभूत सेवाओं पर व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित की गई।

आयोग की अनुशंसा एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार की मार्गदर्शिका में भर्त्सना उल्लिखित है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि राज्य के खाते में प्राप्त होने पर 15 दिनों के अन्दर ही ग्राम पंचायतों को विमुक्त कर दी जायेगी। विलम्ब की स्थिति में राज्य सरकार को किस्त की राशि के साथ अपनी निधियों से ब्याज की राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों को करना होगा। विभाग द्वारा प्रथम किस्त की प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने एवं द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त करने हेतु अनुरोध किये जाने पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक 13(4)/एफ०एफ०सी०/वि०आ०प०/2015-16 दिनांक 18.02.2016 द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रथम किस्त की कुल राशि पर देश की अवधि के लिए देय ब्याज स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने संबंधी मंजूरी आदेश ए० सशर्तित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्ति के बाद ही द्वितीय किस्त जारी किया जाएगा। पूर्व में सक्त मंत्रालय के पत्रांक 13(4)/एफ०एफ०सी०/वि०आ०प०/2015-16, दिनांक 22.12.2015 द्वारा यह सूचित किया गया था कि राज्य सरकार ने निर्धारित अवधि के बाद अनुदान का स्थानान्तरण किया है, इसलिए बैंक ब्याज की आ०वी०आई० दर के अनुसार देश की अवधि के लिए ब्याज संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

2 अनुदान की प्रथम किस्त की राशि को जिला के निकायों एवं व्यय पद विकास समूह विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों, जिला परिषद द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण 15 दिनों की समय-सीमा के अन्दर उपलब्ध नहीं कराने का

सकने संबंधी उनके प्रतिवेदन के आलोक में उक्त राशि पर ब्याज की आर0बी0आई0 दर 6.75% प्रति वर्ष की दर से गणना के फलस्वरूप ₹8,11,71,124.00 (आठ करोड़ ग्यारह लाख इकहत्तर हजार एक सौ चौबीस रुपये) मात्र की राशि ग्राम पंचायतों को दी जाती है। जिलावार ग्राम पंचायतों की संख्या के हिसाब से निम्नलिखित सारणी के अनुसार सूद की राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत की जाती है।:-

क्र०स०	जिला का नाम	पंचायत की संख्या	6.75% ब्याज दर पर सूद की राशि
1	बक्सर	142	1135290
2	रोहतास	245	2642778
3	भोजपुर	228	1310088
4	नालन्दा	249	2691222
5	पटना	327	3233478
6	कैमूर	149	1526207
7	गया	332	4045381
8	नवादा	187	2008941
9	औरंगाबाद	204	2026942
10	जहानाबाद	93	1161756
11	अरवल	65	860730
12	सारण	323	3417496
13	सिवान	293	1670148
14	गोपालगंज	234	1227798
15	मुजफ्फरपुर	385	2115960
16	वैशाली	288	3191200
17	पूर्व चम्पारण	405	2525314
18	पश्चिम चम्पारण	315	3216004
19	सीतामढ़ी	273	1902912
20	शिवहर	53	278091
21	भागलपुर	242	2962564
22	बांका	185	1201760
23	मधुबनी	399	6140282
24	समस्तीपुर	381	3630301
25	हरमग	324	1214352
26	सहरसा	151	2230306
27	मधेपुरा	170	2829943
28	सुपौल	181	2374146
29	पूर्णिया	246	3069009
30	अररिया	218	2720706
31	किशनगंज	126	916118
32	कटिहार	238	1129786
33	मुंगेर	101	1202246
34	जमुई	153	1873026
35	बेगूसराय	229	2231376
36	खगड़िया	129	2303559

37	लखीसराय	80	805516
38	शेखपुरा	54	148392
	कुल	8397	8,11,71,124

(आठ करोड़ ग्यारह लाख इकहत्तर हजार एक सौ चौबीस रुपये)

इस आधार पर गणना की पंचायतवार सूची अनुलग्नक 01 के रूप में संलग्न है।

इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित उन्हीं मूलभूत सेवाओं पर किया जायेगा जो पूर्व में विभागीय राज्यादेश संख्या 4प/चौ0वि0आ0-01-01/2015/3/प0रा0 दिनांक 17.07.2015 में अंकित है।

3. ग्राम पंचायतों की संख्या में परिवर्तन होने पर राशि का विवरण परिवर्तित संख्या के आधार पर किया जायेगा जो ऐसी संख्या परिवर्तन के बाद दी जानेवाली किस्त से प्राप्त होगा।

4. राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष के अंतर्गत उपबधित राशि से की जायेगी:-

“गैर-योजना मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता”

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार होंगे जो राज्य की ग्राम पंचायतों को उपर्युक्त राशि आर0टी0जी0एस (RTGS) के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

6. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला की ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ एक सप्ताह के अन्दर विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे तथा कुल आवंटित राशि का अकेक्षित प्रतिवेदन भी उपलब्ध करायेंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

ह0/-

(सुधीर कुमार शर्मा)

प्रधान सचिव

डा0पंक-4प/चौ0वि0 आ0-01-05/2015/प0रा0/57 पटना, दिनांक-10/03/2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुधीर कुमार शर्मा)

प्रधान सचिव

ज्ञापक-4प/चौवि0 आ0-01-05/2015/प0रा0/07 पटना, दिनांक-10/03/2016

प्रतिलिपि:-श्री गुफरान अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज विभाग/प्रशाखा मदाधिकारी प्रशाखा-05 पंचायती राज विभाग/लेखापाल/रोकड़पाल/विपत्र लिपिक पंचायती राज विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। राज्य की ग्राम पंचायतों को उपर्युक्त राशि आर0टी0जी0एस (RTGS) के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में अंतरित करेंगे।

ह0/-

(सुधीर कुमार राकेश)

प्रधान सचिव

ज्ञापक-4प/चौवि0 आ0-01-05/2015/प0रा0/07 पटना, दिनांक-10/03/2016

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद /सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुधीर कुमार राकेश)

प्रधान सचिव

ज्ञापक-4प/चौवि0 आ0-01-05/2015/प0रा0/07 पटना, दिनांक-10/03/2016

प्रतिलिपि :-श्री अरुण कुमार सचदेवा, उपसचिव, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग ब्लॉक संख्या-11, तल 5वें, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (फोन नः01124362405, Email-id- sachdeva.ak@nic.in)

ह0/-

(सुधीर कुमार राकेश)

प्रधान सचिव

ज्ञापक-4प/चौवि0 आ0-01-05/2015/प0रा0/07 पटना, दिनांक-10/03/2016

प्रतिलिपि -सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुधीर कुमार राकेश)

प्रधान सचिव

ज्ञापक-4प/चौवि0 आ0-01-05/2015/प0रा0/07 पटना, दिनांक-10/03/2016

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुधीर कुमार राकेश)

प्रधान सचिव

ज्ञापक-4प/चौवि0 आ0-01-05/2015/प0रा0/07 पटना, दिनांक-10/03/2016

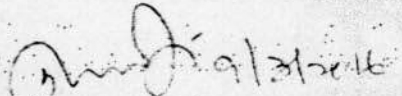
प्रतिलिपि -आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुधीर कुमार राकेश)

प्रधान सचिव

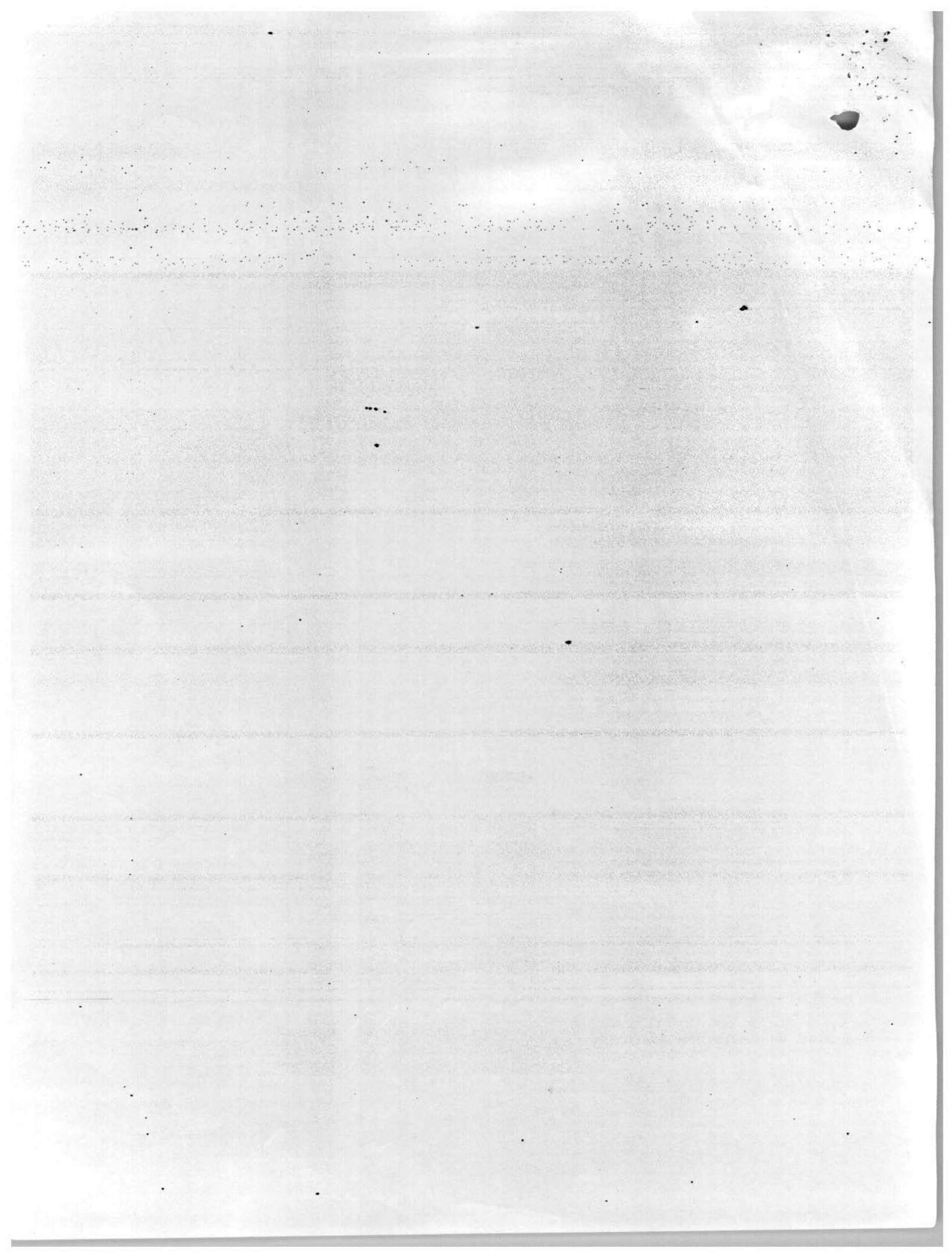
ज्ञापक-49/चौविओ आ0-01-05/2015/प0र00/०7 पटना दिनांक- 10/03/2016
प्रतिनिधि -आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इसे पंचायत राज विभाग के वेबसाइट पर डालने एवं ई-मेल करना की
कार्रवाई की जाये।



(सुबोध कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

4.3.16



14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 स्वीकृत/आवंटित राशि का विवरणी एवं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र माह दिसम्बर, 2019

क्र०	जिला का नाम	स्वीकृत्यादेश सं०/आवंटन सं० 2015-16/03/ 17.7.15/ 10(आ०)/17.7.15	उपयोगिता	माह नवम्बर में प्राप्त उपयोगिता	कुल राशि	अवशेष राशि	स्वीकृत्यादेश सं०/आवंटन सं० 07/10.3.16/ 35(आ०)/16.3.16	उपयोगिता	माह नवम्बर में प्राप्त उपयोगिता	कुल राशि	अवशेष राशि	स्वीकृत्यादेश सं०/आवंटन सं० 2015-16/ 11/31.3.16/ 50(आ०)/31.3.16	उपयोगिता	माह नवम्बर में प्राप्त उपयोगिता	कुल राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Araria	294523244	294523244		294523244	0	2720706		2720706	2720706	0	294733818		29473319	29473319	265260499
2	Arwal	87816563	87816563		87816563	0	860730			0	860730	87879349	87879339		87879339	10
3	Aurangabad	275608907	275608907		275608907	0	2026942	2026942		2026942	0	275805958	275805958		275805958	0
4	Banka	249939450	249939450		249939450	0	1201760	1201760		1201760	0	250118148	250118148		250118148	0
5	Begusarai	309384508	309384508		309384508	0	2231376		2231376	2231376	0	309605708		294830933	294830933	14774775
6	Bhagalpur	326947821	326947821		326947821	0	2962564			0	2962564	327181578			0	327181578
7	Bhojpur	308033484	308033484		308033484	0	1310088	1310088		1310088	0	308253718	308253718		308253718	0
8	Buxar	191845416	178962399		178962399	12883017	1135290			0	1135290	191982579			0	191982579
9	Darbhanga	437731793	405426800		405426800	32304993	1214352			0	1214352	438044757			0	438044757
10	E. Champaran	547164742	547164742		547164742	0	2525314	2525314		2525314	0	547555946	547555946		547555946	0
11	Gaya	448539986	448539986		448539986	0	4045381			0	4045381	448860677	448860677		448860677	0
12	Gopalganj	316139628	316139628		316139628	0	1227798	1227798		1227798	0	316365658	316365658		316365658	226030
13	Jamui	206706680	206706680		206706680	0	1873026	1873026		1873026	0	206854468	188667808		188667808	18186660
14	Jehanabad	125645237	125645237		125645237	0	1161756	1161756		1161756	0	125735069	125735069		125735069	6
15	Kaimur	201302584	173756804		173756804	27545780	1526207			0	1526207	201446509			0	201446509
16	Katihar	321543725	321543725		321543725	0	1129786	1115545		1115545	14241	321773618	288867178		288867178	32906440
17	Khagaria	174282103	174282103		174282103	0	2303559			0	2303559	174406709			0	174406709
18	Kishanganj	170229031	170229031		170229031	0	916118			0	916118	170350739			0	170350739
19	Lakhisarai	108081924	108081924		108081924	0	805516	805516		805516	0	108159199	48159199		48159199	60
20	Madhepura	229674089	229674089		229674089	0	2829943	2829943		2829943	0	229838298	229838238		229838238	0
21	Madhubani	539058597	539058597		539058597	0	6140282	6140282		6140282	0	539444006	539444006		539444006	0
22	Munger	136453429	136453429		136453429	0	1202246	1202246		1202246	0	136550989		136550989	136550989	520516146
23	Muzaffarpur	520144261	440811881		440811881	79332380	2115960			0	2115960	520516146			0	520516146
24	Nalanda	336404989	322827321	13577668	336404989	0	2691222		2691222	2691222	0	336645508		336645508	336645508	252822128
25	Nawada	252641498	219925645		219925645	32715853	2008941			0	2008941	252822128			0	252822128
26	Patna	441784865	441784865		441784865	0	3233478			0	3233478	435340777		393665789	393665789	41674988
27	Purnea	332351917	332351917		332351917	0	3069009	3069009		3069009	0	332589538	293522167		293522167	39067371
28	Rohtas	332351917	306906010		306906010	25445907	2642778			0	2642778	331237548			0	331237548
29	Saharsa	204004632	204004632		204004632	0	2230306			0	2230306	204150488	178873888		178873888	25276600
30	Sainastipur	514740164	514740164		514740164	0	3630301			0	3630301	515108186	497362617		497362617	17745569
31	Saran	436380769	436380769		436380769	0	3417496	3417496		3417496	0	436692767	436692767		436692767	0
32	Shekhpura	72955299	72955299		72955299	0	148392			0	148392	73007459	61520643		61520643	11486816
33	Sheohar	71604275	58928462	12675813	71604275	0	278091		278091	278091	0	71655469		56463647	56463647	15191822
34	Sitamarhi	368829567	331595017	37234494	368829511	56	1902912		1902912	1902912	0	369093267		332057959	332057959	37035308
35	Siwan	395850048	395850048		395850048	0	1670148	1670148		1670148	0	396133067	381475257		396133067	0
36	Supaul	244535354	163193921		163193921	81341433	2374146			0	2374146	244710188			0	244710188
37	Vaishali	389094927	343794200		343794200	45300727	3191200			0	3191200	389373117			0	389373117
38	W. Champaran	425572577	402092712	23479865	425572577	0	3216004		3216004	3216004	0	425876847		425876847	425876847	0
	कुल-	11345900000	1092062014	86967840	11009029854	336870146	81171124	31576869	13040311	44617180	36553944	11345899996	5504772245	2020222801	7524995046	3820904951

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 तक स्वीकृत/आवंटित राशि का विवरणी एवं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र माह
दिसम्बर, 2019

क्र०	जिला का नाम	2016-17 में स्वीकृतादेश/ आवंटन 14/28.12. 16 / 31(आ०)/ 28.12.16	उपयोगिता	माह नवम्बर में प्राप्त उपयोगिता	कुल राशि	अवशेष राशि	2016-17 में स्वीकृतादेश/ आवंटन 17/ 18.03.17/ 45(आ०)/20.3.17	उपयोगिता	माह नवम्बर में प्राप्त उपयोगिता	कुल राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Araria	443178099		51362511	51362511	391815588	443178099			0	443178099
2	Arwal	112420651			0	112420651	112420651			0	112420651
3	Aurangabad	376130560			0	376130560	376130560			0	376130560
4	Banka	339399261	339399261		339399261	0	339399261	130493944		130493944	208905317
5	Begusarai	423331993	41752829		41752829	381579164	423331993			0	423331993
6	Bhagalpur	421118901		379366072	379366072	41752829	421118901		93208058	93208058	327910843
7	Bhojpur	381056777	135423169		135423169	245633608	381056777			0	381056777
8	Buxar	257896485			0	257896485	257896485			0	257896485
9	Darbhanga	609184694			0	609184694	609184694			0	609184694
10	E. Champaran	818246560	465928954		465928954	352317606	818246560			0	818246560
11	Gaya	654048694	434329785		434329785	219718909	654048694			0	654048694
12	Gopalganj	396795074	21665576		21665576	375129498	396795074			0	396795074
13	Jamui	280762380			0	280762380	280762380			0	280762380
14	Jehanabad	167398861			0	167398861	167398861			0	167398861
15	Kaimur	264057418			0	264057418	264057418			0	264057418
16	Katihar	492225966			0	492225966	492225966			0	492225966
17	Khagaria	263743096			0	263743096	263743096			0	263743096
18	Kishanganj	262025376			0	262025376	262025376			0	262025376
19	Lakhisarai	149232057	80062311		80062311	69169746	149232057			0	149232057
20	Madhepura	349618192	349618192		349618192	0	349528500	349528500		349528500	0
21	Madhubani	739026742	325100589		325100589	413926153	739026742			0	739026742
22	Munger	168890729		87650620	87650620	81240109	168890729			0	168890729
23	Muzaffarpur	706469157			0	706469157	706469157			0	706469157
24	Nalanda	425053918		263718981	263718981	161334937	425053918			0	425053918
25	Nawada	361351352			0	361351352	361351352			0	361351352
26	Patna	565547785			0	565547785	565547785			0	565547785
27	Purnea	507648101			0	507648101	507648101			0	507648101
28	Rohtas	411449321			0	411449321	411449321			0	411449321
29	Saharsa	302960424			0	302960424	302960424			0	302960424
30	Samastipur	689924315			0	689924315	689924315			0	689924315
31	Saran	580881757			0	580881757	580881757			0	580881757
32	Shekhpura	97899984			0	97899984	97899984			0	97899984
33	Sheohar	112375093			0	112375093	112375093			0	112375093
34	Sitamarhi	563444395			0	563444395	563444395			0	563444395
35	Siwan	507690630		274139696	274139696	233550934	507690630			0	507690630
36	Supaul	366160198			0	366160198	366160198			0	366160198
37	Vaishali	526941868			0	526941868	526941868			0	526941868
38	W. Champaran	614857982		614857982	614857982	0	614857982		76718230	76718230	538139752
	कुल:-	15710444846	2193280666	1671095862	3864376528	11846068318	15710355154	480022444	169926288	649948732	15060406422

14 वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 स्वीकृत/आवंटित राशि का विवरणी एवं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र माह दिसम्बर, 2019

क्र०	जिला का नाम	2017-18 में स्वीकृत/आवंटित न 02/04.07.17/13(आ०)/04.07.17	उपयोगिता	माह नवम्बर में प्राप्त उपयोगिता	कुल राशि	अवशेष राशि	2017-18 में स्वीकृत/आवंटित न 21/01.12.17/47(आ०)/01.12.17	उपयोगिता	माह नवम्बर में प्राप्त उपयोगिता	कुल राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Araria	512052314			0	512052314	512329134			0	512329134
2	Arwal	129891915			0	129891915	129959892			0	129959892
3	Aurangabad	434584946			0	434584946	434828567			0	434828567
4	Banka	392145237			0	392145237	392350888			0	392350888
5	Begusarai	489121924			0	489121924	489384497			0	489384497
6	Bhagalpur	486564897			0	486564897	486826961			0	486826961
7	Bhojpur	440276741			0	440276741	440521684			0	440521684
8	Buxar	297976123			0	297976123	298138743			0	298138743
9	Darbhanga	703857937			0	703857937	704231455			0	704231455
10	E. Champaran	945410083			0	945410083	945903997			0	945903997
11	Gaya	755694265			0	755694265	756094077			0	756094077
12	Gopalganj	458460901			0	458460901	458712958			0	458712958
13	Jamui	324395613			0	324395613	324566594			0	324566594
14	Jehanabad	193414281			0	193414281	193517994			0	193517994
15	Kaimur	305094521			0	305094521	305256315			0	305256315
16	Katihar	568722700			0	568722700	564911220			0	564911220
17	Khagaria	304731350			0	304731350	304896819			0	304896819
18	Kishanganj	302746691			0	302746691	302906876			0	302906876
19	Lakhisarai	172424179			0	172424179	172514037			0	172514037
20	Madhepura	403900461	190415894		190415894	213484567	404101410			0	404101410
21	Madhubani	853878716			0	853878716	854333412			0	854333412
22	Munger	195137995			0	195137995	195244593			0	195244593
23	Muzaffarpur	816261401			0	816261401	816719096			0	816719096
24	Nalanda	491111448			0	491111448	491365894			0	491365894
25	Nawada	417508889			0	417508889	417724088			0	417724088
26	Patna	653439432			0	653439432	653798651			0	653798651
27	Purnea	586541571			0	586541571	586847604			0	586847604
28	Rohtas	475392577			0	475392577	475657771			0	475657771
29	Saharsa	350043429			0	350043429	350223259			0	350223259
30	Samastipur	797145313			0	797145313	797578790			0	797578790
31	Saran	671156466			0	671156466	671526299			0	671526299
32	Shekhpura	113114608			0	113114608	113169844			0	113169844
33	Sheohar	129839285			0	129839285	129905079			0	129905079
34	Sitamarhi	651009172			0	651009172	645734861			0	645734861
35	Siwan	586590707			0	586590707	586920105			0	586920105
36	Supaul	423065069			0	423065069	423287503			0	423287503
37	Vaishali	608833804			0	608833804	609172751			0	609172751
38	W. Champaran	710413039			0	710413039	710786282			0	710786282
कुल:-		18151950000	190415894	0	190415894	17961534106	18151950000	0	0	0	18151950000

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह,

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 16/03/2016

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 07 दिनांक 10.03.2016 द्वारा स्वीकृत कुल ₹ 8,11,71,124.00 (आठ करोड़ ग्यारह लाख इकहत्तर हजार एक सौ चौबीस रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 07 दिनांक 10.03.2016 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किस्त की अनुदान राशि को विलम्ब से पंचायतों को उपलब्ध कराने के फलस्वरूप देय सूद ₹ 8,11,71,124.00 (आठ करोड़ ग्यारह लाख इकहत्तर हजार एक सौ चौबीस रुपये) मात्र की राशि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत की गयी है। इसके आलोक में राशि की निकासी हेतु कुल ₹ 8,11,71,124.00 (आठ करोड़ ग्यारह लाख इकहत्तर हजार एक सौ चौबीस रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 07 दिनांक 10.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। राशि की निकासी कर चौदहवें वित्त आयोग से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना में संचारित विभागीय खाता संख्या 35628359887 में राशि अंतरित करते हुए RTGS के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित की जायेगी।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 के मांग संख्या 16 के अन्तर्गत वजट शीर्ष "गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" एवं विपत्र कोड संख्या एन 2515001980001 के अन्तर्गत की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट गुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निर्हित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

9. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्ता है।

10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापक:- 54/गैर योजना-04/2015/पं०रा०/३१३४ पटना, दिनांक १२/०३/२०१६।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/प्रशाखा 4, पंचायती राज विभाग एवं आई०टी० मैनेजर पंचायती राज विभाग को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक

अरविन्द कुमार चौधरी, मा०प्र०से०

सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक: 31/03/2016

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के बीच समान दर से वितरित करने की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के द्वितीय किस्त के रूप में ₹1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

2. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बुनियादी अनुदान की द्वितीय किस्त की राशि (Basic Grant) की राशि सभी ग्राम पंचायतों के बीच बराबर-बराबर वितरित की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3 दिनांक-17.07.2015 के द्वारा दिया जा चुका है।

3. मांग संख्या-16 में गैर-योजना "मुख्य शीर्ष 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत बजट उपबंधित है जिससे राशि की निकासी की जायेगी। इसका विपत्र कोड एन 2515001980001 है।

4. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार द्वारा बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु द्वितीय किस्त के रूप में उपलब्ध कराये गये कुल ₹1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि को प्रति ग्राम पंचायत ₹1351989.99 (तेरह लाख इकावन हजार नौ सौ नवासी रुपये निनानवे पैसे) मात्र की राशि के दर से राज्य के 8392 ग्राम पंचायतों के बीच वितरित करने की स्वीकृति दी जाती है।

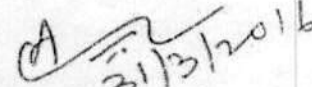
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे जो राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से बैंक खातों में अंतरित करेंगे।

उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद द्वारा बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि के उपयोग का दिशा निर्देश ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेगे।

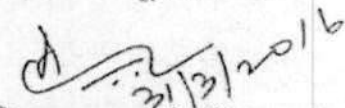
✓ 6. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

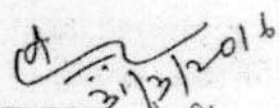
8. राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा की जायेगी।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

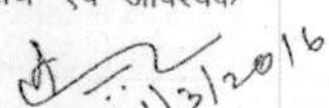
ज्ञापक-4प/चौवि० आ०-०१-०१/२०१५/पं०रा०/.../॥ पटना, दिनांक-३१/०३/२०१६
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

ज्ञापक-4प/चौवि० आ०-०१-०१/२०१५/पं०रा०/.../॥ पटना, दिनांक-३१/०३/२०१६
प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

ज्ञापक-4प/चौवि० आ०-०१-०१/२०१५/पं०रा०/.../॥ पटना, दिनांक-३१/०३/२०१६
प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

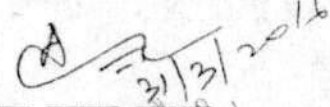

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

ज्ञापक-4प/चौवि० आ०-०१-०१/२०१५/पं०रा०/.../॥ पटना, दिनांक-३१/०३/२०१६

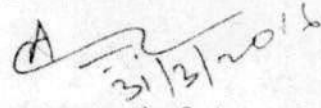
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खातों में राशि अंतरित करना सुनिश्चित की जाये।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

ज्ञापांक-4प/चौ०वि० आ०-०१-०१/२०१५/पं०रा०/...!! पटना, दिनांक-31/03/2016
प्रतिलिपि :-सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव वित्त मंत्रालय व्यय विभाग वित्त आयोग प्रभाग ब्लॉक संख्या-11, तल 5वें, सी०जी०ओ० परिषद् लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित। (Email-id- sachdeva.ak@nic.in)


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

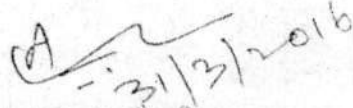
ज्ञापांक-4प/चौ०वि० आ०-०१-०१/२०१५/पं०रा०/...!! पटना, दिनांक-31/03/2016
प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

ज्ञापांक-4प/चौ०वि० आ०-०१-०१/२०१५/पं०रा०/...!! पटना, दिनांक-31/03/2016
प्रतिलिपि :-आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।

ज्ञापांक-4प/चौ०वि० आ०-०१-०१/२०१५/पं०रा०/...!! पटना, दिनांक-31/03/2016
प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव।



14. वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 की द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹1134.59 करोड़ का (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के बीच समान दर से वितरित करने की विवरणी। (कुल 8392 ग्राम पंचायत)

Sr. NO	District	Total GP Amt (In Rs)	Total GP Amt (In Cr)
1	2	3	4
1	Arwal	87879349.35	8.79
2	Araria	294733817.82	29.47
3	Aurangabad	275805957.96	27.58
4	Banka	250118148.15	25.01
5	Begusarai	309605707.71	30.96
6	Bhagalpur	327181577.58	32.72
7	Bhojpur	308253717.72	30.83
8	Buxar	191982578.58	19.20
9	Darbhanga	438044756.76	43.80
10	E Champaran	547555945.95	54.76
11	Gopalganj	316365657.66	31.64
12	Jamui	206854468.47	20.69
13	Jehanabad	125735069.07	12.57
14	Kaimur	201446508.51	20.14
15	Katihar	321773617.62	32.18
16	Gaya	448860676.68	44.89
17	Khargaria	174406708.71	17.44
18	Kishanganj	170350738.74	17.04
19	Lakhisarai	108159199.20	10.82
20	Madhepura	229838298.30	22.98
21	Madhubani	539444006.01	53.94
22	Muzzafarpur	520516146.15	52.05
23	Munger	136550988.99	13.66
24	Nalanda	336645507.51	33.66
25	Nawada	252822128.13	25.28
26	Patna	435340776.78	43.53
27	Purnea	332589537.54	33.26
28	Rohtas	331237547.55	33.12
29	Saharsa	204150488.49	20.42
30	Samastipur	515108186.19	51.51
31	Saran	436692766.77	43.67
32	Sheohar	71655469.47	7.17
33	Shekhpura	73007459.46	7.30
34	Sitamarhi	369093267.27	36.91
35	Supaul	244710188.19	24.47
36	Siwan	396133067.07	39.61
37	Vaishali	389373117.12	38.94
38	W. Champaran	425876846.85	42.59
Total		11345899996.08	1134.59

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह,

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में

विशेष कार्य पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 31/03/2016 2016

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 11 दिनांक 31.03.2016 द्वारा स्वीकृत कुल
₹ 1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की
राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11 दिनांक 31.03.2016 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2015-16 के बुनियादी अनुदान की द्वितीय फिस्त की अनुदान ₹ 1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत की गयी है। इसके आलोक में राशि की निकासी हेतु ₹ 1134.59 करोड़ (ग्यारह अरब चौतीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 11 दिनांक 31.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। राशि की निकासी पर चौदहवें वित्त आयोग से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना में स्थापित विभागीय खाता संख्या 35628359887 में राशि अंतरित करने हुए RTGS के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित की जायेगी।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 दि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्मित किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 के मांग संख्या 16 के अन्तर्गत वज्र शीर्ष "गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-193-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" एवं विपत्र कोड संख्या एन 2515001980001 के अन्तर्गत की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा सधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का कृदतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

9. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है।

10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापक:-54/गैर योजना-04/2015/प०रा०/506218/पटना, दिनांक 31-03-2016।

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/प्रशाखा 4, पंचायती राज विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.16
(राम प्रकाश सिंह)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह, गा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 28.12.2016

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त कुल ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख) मात्र की राशि को पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों के बीच वितरण करने की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम किस्त के रूप में ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा स्वीकृत पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त राशि के वितरण हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही 14वें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए अनुशंसित ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3 दिनांक-17.07.2015 एवं 11 दिनांक 31.03.2016 द्वारा दिया जा चुका है।

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत "3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" विषय शीर्ष से की जायेगी। इसकी भांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड एन 2515001980001 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा जो राशि की निकासी राशिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग

स.स.

से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, बिमला सदन, होल्डिंग नं० 801/432, वार्ड नं०-37, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Holding No # 801/432, Ward No # 37, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में सधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126838 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से RTGS/NEFT द्वारा ग्राम पंचायतों के संलग्न विवरणी के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेगे।

5. राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

6. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृतिदेश प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

झापांक-44/चौ०वि०आ०-01-11/2016/14/प०रा०

पटना, दिनांक-28.12.2016

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

झापांक-44/चौ०वि०आ०-01-11/2016/14/प०रा०

पटना, दिनांक-28.12.2016

प्रतिलिपि:-सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

झापांक-44/चौ०वि०आ०-01-11/2016/14/प०रा०

पटना, दिनांक-28.12.2016

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...14.../पं०रा०

पटना, दिनांक- 28.12.2016

प्रतिलिपि:-अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रभारी पदाधिकारी-05/प्रशाखा पदाधिकारी-6/प्रशाखा पदाधिकारी-05/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर द्वारा लगातार गये बैंक खातों में राशि अंतरित करना सुनिश्चित की जाये।


(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...14.../पं०रा०

पटना, दिनांक- 28.12.2016

प्रतिलिपि:-सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव वित्त मंत्रालय व्यय विभाग वित्त आयोग प्रभाग ब्लॉक संख्या-11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद जोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित। (Email-id- sachdeva.ak@nic.in)


(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...14.../पं०रा०

पटना, दिनांक- 28.12.2016

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...14.../पं०रा०

पटना, दिनांक- 28.12.2016

प्रतिलिपि:-आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव.



14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में बुनियादी अनुदान के अन्तर्गत 2016-17 की प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त 1571.040 करोड़ का (पन्द्रह अरब इकहत्तर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच समान दर से वितरित करने की विवरणी।

क्र०सं०	जिला का नाम	2016-17 में स्वीकृतादेश/आवंटन 14/28.12.16/31(आ०)/28.12.16
1	2	3
1	Araria	443178099
2	Arwal	112420651
3	Aurangabad	376130560
4	Banka	339399261
5	Begusarai	423331993
6	Bhagalpur	421118901
7	Bhojpur	381056777
8	Buxar	257896485
9	Darbhanga	609184694
10	E. Champaran	818246560
11	Gaya	654048694
12	Gopalganj	396795074
13	Jamui	280762380
14	Jehanabad	167398861
15	Kaimur	264057418
16	Katihar	492225966
17	Khagaria	263743096
18	Kishanganj	262025376
19	Lakhisarai	149232057
20	Madhepura	349573346
21	Madhubani	739026742
22	Munger	168890729
23	Muzaffarpur	706469157
24	Nalanda	425053918
25	Nawada	361351352
26	Patna	565547785
27	Purnea	507648101
28	Rohtas	411449321
29	Saharsa	302960424
30	Samastipur	689924315
31	Saran	580881757
32	Shekhpura	97899984
33	Sheohar	112375093
34	Sitamarhi	563444395
35	Siwan	507690630
36	Supaul	366160198
37	Vaishali	526941868
38	W. Champaran	614857982
	Total:-	15710400000

14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में बुनियादी अनुदान के अन्तर्गत 2016-17 की द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त 1571.040 करोड़ का (पन्द्रह अरब इकहत्तर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच समान दर से वितरित करने की विवरणी।

क्र०सं०	जिले का नाम	2016-17 में स्वीकृत/आवृत्त 17 / 18.3.17 / 45(आ०) / 20.3.17
1	2	3
1	Araria	443178099
2	Arwal	112420651
3	Aurangabad	376130560
4	Banka	339399261
5	Begusarai	423331993
6	Bhagalpur	421118901
7	Bhojpur	381056777
8	Buxar	257896485
9	Darbhanga	609184694
10	E. Champaran	818246560
11	Gaya	654048694
12	Gopalganj	396795074
13	Jamui	280762380
14	Jehanabad	167398861
15	Kaimur	264057418
16	Katihar	492225966
17	Khagaria	263743096
18	Kishanganj	262025376
19	Lakhisarai	149232057
20	Madhepura	349573346
21	Madhubani	739026742
22	Munger	168890729
23	Muzaffarpur	706469157
24	Nalanda	425053918
25	Nawada	361351352
26	Patna	565547785
27	Purnea	507648101
28	Rohtas	411449321
29	Saharsa	302960424
30	Samastipur	689924315
31	Saran	580881757
32	Shekhpura	97899984
33	Sheohar	112375093
34	Sitamarhi	563444395
35	Siwan	507690630
36	Supaul	366160198
37	Vaishali	526941868
38	W. Champaran	614857982
	Total:-	15710400000

14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बुनियादी अनुदान के अन्तर्गत 2017-18 की प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त 1815.195 करोड़ का (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच समान दर से वितरित करने की विवरणी।

क्र०सं०	जिला का नाम	2017-18 में स्वीकृत्यादेश/आवंटन 02/04.07.2017/13(आ०)/20.3.17
1	2	3
1	Araria	512052314
2	Arwal	129891915
3	Aurangabad	434584946
4	Banka	392145237
5	Begusarai	489121924
6	Bhagalpur	486564897
7	Bhojpur	440276741
8	Buxar	297976123
9	Darbhanga	703857937
10	E. Champaran	945410083
11	Gaya	755694265
12	Gopalganj	458460901
13	Jamui	324395613
14	Jehanabad	193414281
15	Kaimur	305094521
16	Katihar	568722700
17	Khagaria	304731350
18	Kishanganj	302746691
19	Lakhisarai	172424179
20	Madhepura	403900461
21	Madhubani	853878716
22	Munger	195137995
23	Muzaffarpur	816261401
24	Nalanda	491111448
25	Nawada	417508889
26	Patna	653439432
27	Purnea	586541571
28	Rohtas	475392577
29	Saharsa	350043429
30	Samastipur	797145313
31	Saran	671156466
32	Shekhpura	113114608
33	Sheohar	129839285
34	Sitamarhi	651009172
35	Siwan	586590707
36	Supaul	423065069
37	Vaishali	608833804
38	W. Champaran	710413039
	Total:-	18151950000

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में

अवर सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28.12.2016

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 14 दिनांक 28.12.2016 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 14 दिनांक 28.12.2016 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की कुल ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, एकजीबिशन रोड, पटना (HDFC Bank, Exhibition Road, Patna) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से RTGS/NEFT द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को विभागीय राज्यादेश संख्या 14 दिनांक 28.12.2016 के साथ संलग्न विवरणी के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 423 दिनांक 31.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016 तथा 2063 दिनांक 11.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या 16 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "गैर-योजना" मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता के अन्तर्गत "3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" विषय शीर्ष से की जायेगी। इसका विपत्र कोड संख्या N 2515001980001 के अन्तर्गत की जायेगी।





5. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

 28/12/2016
(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 5प/गैर योजना-01-10/2016/31610/पं०रा० पटना, दिनांक 28.12.2016
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/प्रशाखा 04 एवं 06, पंचायती राज विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 28/12/2016
(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव



बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह, मा०प्र०रो०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 18/03/2017

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त कुल ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख) मात्र की राशि को पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों के बीच वितरण करने की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय किस्त के रूप में ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी जानी है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा स्वीकृत पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त राशि के वितरण हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही 14वें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए अनुशंसित ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी (राज्य के सभी 8391 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. 14वें वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2015-20 तक) की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि को राज्य के ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन इसके अगले किस्तों में संबंधित ग्राम पंचायतों को वितरित राशि में से किया जा सकेगा।

3. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर किरतूत दिशा निर्देश पूर्व में ही विभागीय स्वीकृति/देश संख्या 3 दिनांक-17.07.2015, 11 दिनांक 31.03.2016 एवं 465 दिनांक 27.01.2017 द्वारा दिया जा चुका है।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-199-ग्राम पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत "3108-राज्य अनुदान-वेतनादि के अलावा" विषय शीर्ष से की जायेगी। इसकी मात्र संख्या-18 एवं 1993

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायत राज विभाग होंगे जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, विमला सदन, होल्डिंग नं० 801/432, वार्ड नं०-37, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Holding No # 801/432, Ward No # 37, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से ग्राम पंचायतों के संलग्न विवरणी (राज्य के सभी 8391 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

6. राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...17.../पं०रा०

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...17.../पं०रा०

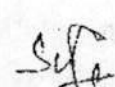
प्रतिलिपि-सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...17.../पं०रा०

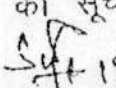
प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

 18/3/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

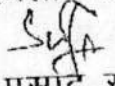
संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-18/03/2017

 18/3/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

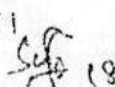
संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-18/03/2017

 18/3/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

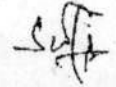
संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-18/03/2017

 18/3/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...17.../प०रा० पटना, दिनांक-18/03/2017
प्रतिलिपि-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रभारी
पदाधिकारी-05/प्रशाखा पदाधिकारी-6/प्रशाखा पदाधिकारी-05/लेखापाल/रोकड़पाल,
पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर द्वारा
उपलब्ध कराये गये बैंक खातों में राशि अंतरित करना सुनिश्चित की जाये।

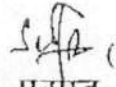
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

 18/3/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...17.../प०रा० पटना, दिनांक-18/03/2017
प्रतिलिपि-सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव वित्त
मंत्रालय व्यय विभाग वित्त आयोग प्रभाग ब्लॉक संख्या-11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद लोधी
रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित। (Email-id- sachdeva.ak@nic.in)

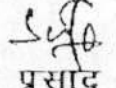
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

 18/3/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...17.../प०रा० पटना, दिनांक-18/03/2017
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

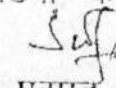
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

 18/3/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4प/चौ०वि०आ०-01-11/2016/...17.../प०रा० पटना, दिनांक-18/03/2017
प्रतिलिपि-आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

 18/3/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

पत्रांक-5प/गैर योजना-01-10/2016/45 (हाउ)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह, भा०प्र०से०

संयुक्त सचिव

सेवा में,

अवर सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक १०.०३.२०१७

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 17 दिनांक 18.03.2017 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 17 दिनांक 18.03.2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से द्वितीय किरस्त के रूप में प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की कुल ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों (8391 ग्राम पंचायतों) को स्वीकृत की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहतर करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. 14वें वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2015-20 तक) की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि को राज्य के ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन इसके अगले किरस्तों में संबंधित ग्राम पंचायतों को वितरित की जाने वाली राशि में से किया जाएगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, विमला सदन, होल्डिंग नं० 801/432, वार्ड नं०-37, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Holding No # 801/432, Ward No # 37, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से ग्राम पंचायतों के संलग्न विवरणी (राज्य के सभी 8391 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करावेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 423 दिनांक 31.03.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

[Signature]

[Signature]

5. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या 16 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "गैर-योजना "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत "3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" विषय शीर्ष से की जायेगी। इसका विपत्र कोड संख्या N 2515001980001 के अन्तर्गत की जायेगी।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 5प/गैर योजना-01-10/2016/45(आ०)/प०रा०

पटना, दिनांक 20/3/2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/प्रशाखा 04 एवं 06, पंचायती राज विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

अत्यावश्यक/अविलम्ब
ई-मेल/फैक्स

पत्रांक-5प/गैर योजना-01-10/2016/13619/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह, भा०प्र०से०

अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 04.07.2017

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 02 दिनांक 04.07.2017 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1815.1950 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 02 दिनांक 04.07.2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त ₹1815.1950 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों (8391 ग्राम पंचायत) को वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹1815.1950 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के विषय शीर्ष "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, विमला सदन, एकजीविशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से विभागीय राज्यादेश संख्या 02 दिनांक 04.07.2017 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 (राज्य के सभी 8391 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य

शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

Sd/- 4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना-01-10/2016/13(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 04.07.2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/प्रभारी पदाधिकारी-04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना-01-10/2016/13(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 04.07.2017

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sd/- 4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)
अपर सचिव

Sd/-

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह, मा०प्र०से०
अपर सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 04.07.2017

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त कुल ₹1815.195 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी (8391) ग्राम पंचायतों के बीच वितरण करने की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा लागू है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 7809 दिनांक 09.12.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-13.12.2016 के मद संख्या-20 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13 दिनांक 23.12.2016 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 8052 दिनांक 23.12.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2016 के मद संख्या-05 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त ₹1815.195 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 (राज्य के सभी 8391 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. 14वें वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2015-20 तक) की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि को राज्य के ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन इसके अगले किस्तों में संबंधित ग्राम पंचायतों को वितरित राशि में से किया जा सकेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बुनियादी अनुदान की प्रथम किस्त की राशि के विमुक्ति के क्रम में टंकण भूलवश रोहतास जिलांतर्गत नौहट्टा प्रखण्ड के ग्यारह ग्राम पंचायतों को कम/अधिक राशि विमुक्ति की गयी जिसका समायोजन वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय किस्त से किया गया। इस समायोजन के उपरांत भी रोहतास जिलांतर्गत नौहट्टा प्रखण्ड के दो ग्राम पंचायतों यथा— JADUNATIPUR एवं TIARA KHU से कुल ₹389221.00 (तीन लाख नबासी हजार दो सौ इक्कीस रुपये) मात्र की राशि का समायोजन अवशेष रह गया था। इस अवशेष राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त बुनियादी अनुदान की प्रथम किस्त की राशि के वितरण से कर दिया गया है।
5. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3 दिनांक-17.07.2015, 11 दिनांक 31.03.2016 एवं 465 दिनांक 27.01.2017 द्वारा दिया जा चुका है।
6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" विषय शीर्ष से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।
7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, विमला सदन, एकजीबिशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से ग्राम पंचायतों के संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 (राज्य के सभी 8391 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।
8. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।
9. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।
10. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017 के पृष्ठ संख्या 05/टि० पर प्राप्त है।
12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017 के पृष्ठ संख्या 05-06/टि० पर

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017 के पृष्ठ संख्या 07/टि० पर प्राप्त है।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017/.../पं०रा० पटना, दिनांक-04.07.2017
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017/.../पं०रा० पटना, दिनांक-04.07.2017
प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017/.../पं०रा० पटना, दिनांक-04.07.2017
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017/.../पं०रा० पटना, दिनांक-04.07.2017
प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रभारी पदाधिकारी-05/प्रशाखा पदाधिकारी-6/प्रशाखा पदाधिकारी-05/लेखापाल/रोकडपाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। लेखापाल एवं रोकडपाल को निदेश दिया जाता है कि आई०टी० मैनेजर की सहायता से संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप राशि को PFMS Portal के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017/.../पं०रा० पटना, दिनांक-04.07.2017
प्रतिलिपि: सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव वित्त मंत्रालय व्यय विभाग वित्त आयोग प्रभाग ब्लॉक संख्या-11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित (Email-id- sachdeva.ak@nic.in)।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

4/7/2017
(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कुलदीप नारायण, गा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 01/12/2017

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त कुल ₹1815.195 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी (8386) ग्राम पंचायतों के बीच वितरण करने की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा लागू है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापक 7809 दिनांक 09.12.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.12.2016 के मद संख्या-20 एवं विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 13 दिनांक 23.12.2016 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापक 8052 दिनांक 23.12.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2016 के मद संख्या-05 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त ₹1815.195 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. 14वें वित्त आयोग (अवधि 2015-20 तक) की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि को राज्य के ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन इसके अगले किस्तों में संबंधित ग्राम पंचायतों को वितरित राशि में से किया जा सकेगा।

4. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 3 दिनांक 17.07.2015, 11 दिनांक 31.03.2016 एवं 465 दिनांक 27.01.2017 द्वारा दिया जा चुका है।

सिद्ध

सुनील

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" गद के विषय शीर्ष "0001.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवसर सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, बिमला सदन, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से ग्राम पंचायतों के संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

8. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

9. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017 के पृष्ठ संख्या 19/टि० पर दिनांक 27.11.2017 को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017 के पृष्ठ संख्या 21/टि० पर दिनांक 30.11.2017 को प्राप्त है।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापक: 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017/...21.../पं०रा० पटना, दिनांक-01/12/2017
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापक: 4प/चौ०वि०आ०-11-12/2017/...21.../पं०रा० पटना, दिनांक-01/12/2017
प्रतिलिपि: सह-उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(कुलदीप नारायण)
निदेशक

रामेश

ज्ञापांक: 44/चौ०वि०आ०-11-12/2017/21.../पं०रा० पटना, दिनांक-01/12/2017
प्रतिलिपि: सभी प्रगंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रगंडलीय उप निदेशक/सभी
जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

445/7
01/12/17
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापांक: 44/चौ०वि०आ०-11-12/2017/21.../पं०रा० पटना, दिनांक-01/12/2017
प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रभारी
पदाधिकारी-03, 05 एवं 06/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। लेखापाल एवं रोकड़पाल को निदेश दिया जाता है कि आई०टी०
मैनेजर की सहायता से संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप राशि को
PFMS Portal के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

445/7
01/12/17
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापांक: 44/चौ०वि०आ०-11-12/2017/21.../पं०रा० पटना, दिनांक-01/12/2017
प्रतिलिपि: सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव, वित्त
मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लॉक संख्या-11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद लोधी
रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

445/7
01/12/17
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापांक: 44/चौ०वि०आ०-11-12/2017/21.../पं०रा० पटना, दिनांक-01/12/2017
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

445/7
01/12/17
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापांक: 44/चौ०वि०आ०-11-12/2017/21.../पं०रा० पटना, दिनांक-01/12/2017
प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

445/7
01/12/17
(कुलदीप नारायण)
निदेशक

निदेश

14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बुनियादी अनुदान के अन्तर्गत 2017-18 की द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त 1815.195 करोड़ का (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच समान दर से वितरित करने की विवरणी।

क्र०सं०	ज़िला का नाम	2017-18 में स्वीकृत्यादेश/आवंटन 21/01.12.17/47(आ०)/01.12.17
1	2	3
1	Araria	512329134
2	Arwal	129959892
3	Aurangabad	434828567
4	Banka	392350888
5	Begusarai	489384497
6	Bhagalpur	486826961
7	Bhojpur	440521684
8	Buxar	298138743
9	Darbhanga	704231455
10	E. Champaran	945903997
11	Gaya	756094077
12	Gopalganj	458712958
13	Jamui	324566594
14	Jehanabad	193517994
15	Kaimur	305256315
16	Katihar	564911220
17	Khagaria	304896819
18	Kishanganj	302906876
19	Lakhisarai	172514037
20	Madhepura	404101410
21	Madhubani	854333412
22	Munger	195244593
23	Muzaffarpur	816719096
24	Nalanda	491365894
25	Nawada	417724088
26	Patna	653798651
27	Purnea	586847604
28	Rohtas	475657771
29	Saharsa	350223259
30	Samastipur	797578790
31	Saran	671526299
32	Shekhpura	113169844
33	Sheohar	129905079
34	Sitamarhi	645734861
35	Siwan	586920105
36	Supaul	423287503
37	Vaishali	609172751
38	W. Champaran	710786282
	Total:-	18151950000

अत्यावश्यक/अविलम्ब
ई-मेल/फैक्स

पत्रांक 54/गैर योजना 01-10/2016/47 (377)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कुलदीप नारायण, मा०प्र०स०
निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01.12.2017

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 21 दिनांक 01.12.2017 द्वारा स्वीकृत कुल
₹1815.1950 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार
रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 21 दिनांक 01.12.2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त ₹1815.1950 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों (8386 ग्राम पंचायत) को वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृतादेश के आलोक में कुल ₹1815.1950 करोड़ (अठारह अरब पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के विषय शीर्ष "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, विमला सदन, एकजीविशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संचारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से विभागीय राज्यादेश संख्या 21 दिनांक 01.12.2017 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य

23/12

महेश्वर

शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. इस आवंटनादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

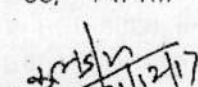
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

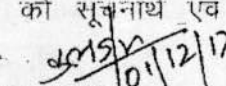
विश्वासभाजन


(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापांक : 54/गैर योजना-01-10/2016/419(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 01.12.2017
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/प्रभारी पदाधिकारी-04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(कुलदीप नारायण)
निदेशक

ज्ञापांक : 54/गैर योजना-01-10/2016/419(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 01.12.2017
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(कुलदीप नारायण)
निदेशक



अत्यावश्यक
ई-मेल/फैक्स

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दुबे, मा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 13.08.2018

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 01.08.2018 द्वारा स्वीकृत कुल
₹1,00,00,00,000.00 (एक अरब रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 01.08.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियत फीस के भुगतान हेतु कुल ₹1,00,00,00,000.00 (एक अरब रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्यशीर्ष-00 -लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0010-ग्राम कचहरी की विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष '0010.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन' इकाई से विभागीय राज्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 01.08.2018 के साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप कुल ₹1,00,00,00,000.00 (एक अरब रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980010 है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 01.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

लगातार - -

148
21/08/18

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप (विवरणी सहित) में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(हरेन्द्र नाथ दुबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-09/2017/31(आ०) पं०रा० पटना, दिनांक 13.08.2018

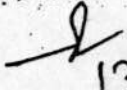
प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा-08 एवं 05/उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र नाथ दुबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-09/2017/31(आ)/पं०रा० पटना, दिनांक 13.08.2018

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


13/8/18
(हरेन्द्र नाथ दुबे)
संयुक्त सचिव


अनुलग्नक-क

पंचायती राज विभाग अंतर्गत प्रखंड स्तर पर कार्यपालक सहायक की लिए गए सेवा के लिए जिला वार/प्रखंड वार अनुमान्य पदों के विरुद्ध रूपया 12,000/- (बारह हजार रूपया मात्र) की दर से प्रति कार्यपालक सहायक को प्रतिमाह भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए कुल अनुमानित राशि की समेकित विवरणी:-(अगस्त 2018 से फरवरी 2019 तक के लिए)

क्र	जिला	प्रखंड की संख्या	प्रखंड कार्यपालक की संख्या	स्तरीय सहायक	12000/प्रति कार्यपालक सहायक की दर से कुल 07 (सात) माह का अनुमान्य भुगतान राशि (कॉलम-4*12000*7)
1	2	3	4	5	6
1	Araria	9	9		756000.00
2	Arwal	5	5		420000.00
3	Aurangabad	11	11		924000.00
4	Banka	11	11		924000.00
5	Begusarai	18	18		1512000.00
6	Bhagalpur	16	16		1344000.00
7	Bhojpur	14	14		1176000.00
8	Buxar	11	11		924000.00
9	Darbhanga	18	18		1512000.00
10	E. Champaran	27	27		2268000.00
11	Gaya	24	24		2016000.00
12	Gopalganj	14	14		1176000.00
13	Jamui	10	10		840000.00
14	Jehanabad	7	7		588000.00
15	Kaimur	11	11		924000.00
16	Katihar	16	16		1344000.00
17	Khargaria	7	7		588000.00
18	Kishanganj	7	7		588000.00
19	Lakhisarai	7	7		588000.00
20	Madhepura	13	13		1092000.00
21	Madhubani	21	21		1764000.00
22	Munger	9	9		756000.00
23	Muzzafarpur	16	16		1344000.00
24	Nalanda	20	20		1680000.00
25	Nawada	14	14		1176000.00
26	Patna	23	23		1932000.00
27	Purnia	14	14		1176000.00
28	Rohtas	19	19		1596000.00
29	Saharsa	10	10		840000.00
30	Samastipur	20	20		1680000.00
31	Saran	20	20		1680000.00
32	Sheikhpura	6	6		504000.00
33	Sheohar	5	5		420000.00
34	Sitamarhi	17	17		1428000.00
35	Siwan	19	19		1596000.00
36	Supaul	11	11		924000.00
37	Vaishali	16	16		1344000.00
38	W. Champaran	18	18		1512000.00
Total :-		534	534		44856000.00

24/3/19

13/11

जिला पंचायत राज, पदाधिकारी
मुंगेर

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दूबे, मा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17.09.18.

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 17.09.2018 द्वारा स्वीकृत कुल
₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार
रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 17.09.2018 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किरत कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के विषय शीर्ष "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, एकजीविशन रोड, पटना, बिहार (HDFC Bank, Exhibition Road, Patna, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से विभागीय राज्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 17.09.2018 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. वित्त विभागीय पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में सम्प्रति CFMS के माध्यम से आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

17/9/18

7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
17/9/18

(हरेन्द्र नाथ दूबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना-01-10/2016/34 (आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 17.09.18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/प्रभारी पदाधिकारी-04 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/18
(हरेन्द्र नाथ दूबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना-01-10/2016/34 (आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 17.09.18

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/9/18
(हरेन्द्र नाथ दूबे)

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दूबे, भा०प०से०

संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 12/09/2018

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी (8386) ग्राम पंचायतों के बीच वितरण करने की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा लागू है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 7809 दिनांक 09.12.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-13.12.2016 के मद संख्या-20 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13 दिनांक 23.12.2016 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार पंचायती राज विभाग बिहार, पटना का ज्ञापांक 8052 दिनांक 23.12.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-27.12.2016 के मद संख्या-05 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-17 से 2019-20 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनः वित्त विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 4924 दिनांक 07.09.2018 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-13.09.2018 के मद संख्या-34 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बुनियादी अनुदान की राशि को भारत सरकार से विमुक्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की प्रथम किस्त कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. 14वें वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2015-20 तक) की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि को राज्य के ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन इसके अगले किस्तों में संबंधित ग्राम पंचायतों को वितरित राशि में से किया जा सकेगा।

8/12/18

4. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3 दिनांक-17.07.2015, 11 दिनांक 31.03.2016 एवं 465 दिनांक 27.01.2017 द्वारा दिया जा चुका है।

6. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के विषय शीर्ष "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, विमला सदन, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से ग्राम पंचायतों के संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

8. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

9. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन सचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 के पृष्ठ संख्या 31/टि० पर दिनांक 13/09/2018 को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति सचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 के पृष्ठ संख्या 28/टि० पर दिनांक 13/09/2018 को प्राप्त है।

18. स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वसभाजन
13/09/18
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018/19(ली)/पं०रा० पटना, दिनांक-13/09/2018
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

13/09/18
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018/19(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक-17/09/2018
प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018/19(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक-17/09/2018
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी
जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018/19(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक-17/09/2018
प्रतिलिपि: उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रभारी
पदाधिकारी-03, 05 एवं 06/PFMS सेल/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रशाखा पदाधिकारी-06 (लेखा), लेखापाल एवं
रोकड़पाल को निदेश दिया जाता है कि आई०टी० मैनेजर की सहायता से इस स्वीकृतिदेश के
साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक- A के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप राशि का PPA तैयार करते
हुए PFMS Portal के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित कराना
सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018/19(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक-17/09/2018
प्रतिलिपि: सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव, वित्त
मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लॉक संख्या-11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद लोधी
रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018/19(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक-17/09/2018
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018/19(सी०)/पं०रा० पटना, दिनांक-17/09/2018
प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

पत्रांक : 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/२५(स्वी०)/प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दूबे, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक.....16/01/2019...

विषय: 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को राज्य के सभी (8386) ग्राम पंचायतों के बीच वितरण करने की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा लागू है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 7809 दिनांक 09.12.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-13.12.2016 के मद संख्या-20 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13 दिनांक 23.12.2016 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 8052 दिनांक 23.12.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-27.12.2016 के मद संख्या-05 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप ही वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनः वित्त विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 4924 दिनांक 07.09.2018 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-13.09.2018 के मद संख्या-34 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बुनियादी अनुदान की राशि को भारत सरकार से विमुक्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि को संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. 14वें वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2015-20 तक) की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि को राज्य के ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन इसके अगले किस्तों में संबंधित ग्राम पंचायतों को वितरित राशि में से किया जा सकेगा।

हरेन्द्र नाथ दूबे

4. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3 दिनांक-17.07.2015, 11 दिनांक 31.03.2016 एवं 465 दिनांक 27.01.2017 द्वारा दिया जा चुका है।
5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के विषय शीर्ष "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।
6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, विमला सदन, एकजीबिशन रोड, पटना-800001, बिहार (HDFC Bank, Bimla sadan, Exhibition Road, Patna-800001, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS Portal के माध्यम से ग्राम पंचायतों के संलग्न विवरणी अनुलग्नक- A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।
7. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।
8. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।
9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1) के पृष्ठ संख्या 30/टि० पर दिनांक 09.01.2019 को प्राप्त है।
11. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1) के पृष्ठ संख्या 32/टि० पर दिनांक 14.01.2019 को प्राप्त है।
12. स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(हरेन्द्र नाथ दूबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/25.1.19 पं०रा० पटना, दिनांक 16.01.2019
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

हरेन्द्र

12/01/19

(हरेन्द्र नाथ दूबे)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/25(419)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/01/2019
प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

16/1/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/25(419)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/01/2019
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

16/1/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/25(419)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/01/2019
प्रतिलिपि: उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रभारी पदाधिकारी-03, 05 एवं 06/PFMS सेल/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रशाखा पदाधिकारी-06 (लेखा) एवं संबंधित कर्मी (लेखा) को यह निदेश दिया जाता है कि आई०टी० मैनेजर की सहायता से इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप राशि का PPA तैयार करते हुए PFMS Portal के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

16/1/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/25(419)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/01/2019
प्रतिलिपि: सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लॉक संख्या-11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

16/1/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/25(419)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/01/2019
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली (E-mail ID- rcbihar@yahoo.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

16/1/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 4प/चौ०वि०आ०-11-06/2018 (खंड-1)/25(419)/पं०रा० पटना, दिनांक 16/01/2019
प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

16/1/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

हरेन्द्र

सचिव

अत्यावश्यक/अविलम्ब
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक: 5प/गैर योजना-01-10/2016/53(219)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

हरेन्द्र नाथ दूबे, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...16.01.19...

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 25(स्वी०) दिनांक 16.01.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 25(स्वी०) दिनांक 16.01.2019 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की द्वितीय किस्त कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के अनुसार वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹2099.855 करोड़ (बीस अरब निन्यानवे करोड़ पिचासी लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" मद के विषय शीर्ष "0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980001 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से राशि की निकासी कर 14वें वित्त आयोग से संबंधित एच०डी०एफ०सी० बैंक, एक्जीबिशन रोड, पटना, बिहार (HDFC Bank, Exhibition Road, Patna, Bihar) में संधारित विभागीय खाता संख्या 50100188126888 में राशि अंतरित करते हुए PFMS के माध्यम से विभागीय राज्यादेश संख्या 19(स्वी०) दिनांक 17.09.2018 के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक-A (राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों हेतु) के स्तम्भ 8 एवं 9 के अनुरूप कुल बुनियादी अनुदान का 80% राशि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं 20% राशि 14वें वित्त आयोग के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. वित्त विभागीय पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में सम्प्रति CFMS के माध्यम से आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

9/1/19

14/1/19

7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, पूर्व की आवंटित राशि का अंकक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा ग्राम पंचायतों के राजस्व के प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

16/11/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना-01-10/2016/53(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 16.01.19
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/प्रभारी पदाधिकारी-03, 04 एवं 06 पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/11/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/गैर योजना-01-10/2016/53(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 16.01.19
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/11/19
(हरेन्द्र नाथ दूबे)
संयुक्त सचिव

हरेन्द्र नाथ दूबे